राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर
शुद्धि पत्र संख्या –9/2013–14

दिनांक : 01.10.2013

आयोग के विज्ञापन संख्या–3/2013–14 दिनांक 26.07.2013 के अन्तर्गत शासन से शासन सचिवालय हेतु लिपिक ग्रेड II के 275 पदों हेतु अर्थना प्राप्त हुई है । आयु सीमा में छूट के प्रावधान अब निम्न प्रकार हो गए है :–

<u>नोटः</u>– लिपिक ग्रेड–II के उक्त पदों पर भर्ती की कार्यवाही राजस्थान लोक सेवा आयोग (मंत्रालयिक एवं अधीनस्थ सेवाएं) नियम एवं विनियम, 1999, राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिकवर्गीय सेवा नियम, 1999 एवं राजस्थान सचिवालय मंत्रालयिक सेवा नियम, 1970 के तहत की जाएगी।

1. आयोग के उक्त विज्ञापन के तहत् आयु सीमा में छूट के प्रावधान अब निम्न प्रकार पढ़े जावें :–

2. <u>आयु सीमा में छूट</u> :–

(1) आयु सीमा में छूट का प्रावधान संख्या 1 अब निम्न प्रकार पढ़ा जावे :–
''इस पद को (तत्समय कनिष्ठ लिपिक) आयोग द्वारा वर्ष 2011 में विज्ञापित किया गया था जिसके तहत आयु की गणना राजस्थान लोक सेवा आयोग एवं अधीनस्थ कार्यालयों हेतु दिनांक 01.01.2012 को एवं शासन सचिवालय हेतु दिनांक 01.04.2012 को की गई थी। तत्पश्चात् इस पद का कोई विज्ञापन आयोग द्वारा जारी नहीं किया गया था। अतः राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 23–09–2008 के अनुसार जो अभ्यर्थी राजस्थान लोक सेवा आयोग एवं अधीनस्थ कार्यालय हेतु दिनांक 01.01.2014 को एवं शासन सचिवालय हेतु दिनांक 01.04.2014 अधिकायु के होते हैं, उन्हें उपरोक्त अधिकतम आयु सीमा में एक वर्ष की छूट देय होगी।''

(2) आयु सीमा में छूट का प्रावधान संख्या 2 एवं उसके नीचे वर्णित नोट विज्ञापन में दर्शाए अनुसार ही रहेंगे ।

<u>आयु सीमा में छूट संबंधी शेष प्रावधान अब निम्न प्रकार पढ़े जावें</u> :–

<u>उपरोक्त तीनों सेवा पदों हेतु</u>

(3) भूतपूर्व कैदी जो दण्डित होने से पूर्व इस राज्य सरकार के अधीन किसी पद पर मौलिक (Substantive) रुप से कार्य कर चुका हो और इन नियमों के तहत नियुक्ति के योग्य था, के मामले में अधिकतम आयु सीमा लागू नहीं होगी।

(4) अन्य भूतपूर्व कैदी जो दण्डित होने से पूर्व वयोत्तर नहीं था और इन नियमों के तहत नियुक्ति के योग्य था, के मामले मे कारावास में व्यतीत की गई अवधि के बराबर छूट होगी।

(5) इस सेवा के किसी पद पर अस्थाई नियुक्ति व्यक्ति अगर प्रारम्भिक नियुक्ति के समय आयु सीमा में थे तो उन्हें आयु सीमा में समझा जावेगा चाहे वे आयोग के समक्ष आखिरी उपस्थिति के समय उसे पार कर चुके हों और यदि वे उनकी प्रारम्भिक नियुक्ति के समय इस प्रकार पात्र थे तो उन्हें दो अवसर दिये जावेंगे।

(6) एनसीसी कैडेट प्रशिक्षकों के मामले में उपरिवर्णित अधिकतम आयु सीमा में उनके द्वारा एनसीसी में की गई सेवा की कालावधि के बराबर छूट दी जायेगी और यदि पारिणामिक आयु विहित अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो तो उन्हें विहित आयु सीमा में ही समझा जायेगा।

केवल अधीनस्थ कार्यालयों एवं राजस्थान लोक सेवा आयोग सेवा पद हेतु

(7) राजस्थान राज्य के कारोबार में सस्थाई (Substantive) रुप से सेवारत व्यक्तियों के मामलों में आयु सीमा 40 वर्ष होगी तथा पंचायत समितियों तथा जिला परिषदों और राज्य के पब्लिक सैक्टर उपक्रमों/निगमों के कार्यकलापों के संबंध में स्थाई रुप सेवारत व्यक्तियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष होगी।

केवल अधीनस्थ कार्यालयों एवं शासन सचिवालय सेवा पद हेतु

(8) भूतपूर्व सैनिकों के लिए ऊपरी आयु सीमा 50 वर्ष होगी परन्तु सैन्य क्रास/वीर चक्र या कोई अन्य उच्च विशेष योग्यता धारकों की दशा में उच्च आयु सीमा 2 वर्ष तक शिथिल करने योग्य होगी ।

(9) कीनिया, तंजानिया, उगान्डा और जंजीवार के पूर्वी अफ्रीकी देशों से स्वदेश प्रत्यावर्तित व्यक्ति के मामले में कोई आयु सीमा नहीं होगी।

(10)सन् 1971 में हुये भारत पाक युद्ध के मध्य पाकिस्तान से स्वदेश प्रत्यावर्तित व्यक्तियों के मामले में कोई आयु सीमा लागू नहीं होगी।

(11)The upper age-limit for the Ex-service Personnel and the reservists, namely the Defence Service Personnel transferred to the reserve shall be 50 years.

(केवल शासन सचिवालय सेवा पद हेतु

(12)पंचायत समितियों तथा जिला परिषदों और राज्य के पब्लिक सैक्टर उपक्रमों/निगमों के कार्यकलापों के संबंध में संस्थाई रुप सेवारत व्यक्तियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष होगी।

(13)रिलीज्ड इमर्जेंसी कमीशण्ड ऑफिसर/शॉर्ट सर्विस कमीशण्ड सेवा में कमीशन ग्रहण करते यदि इस पद के लिए इस प्रकार पात्र थे तो सेवा से रिहा होने के बाद आयोग के समक्ष उपस्थिति के समय चाहे वे आयु सीमा पार कर चुके हों, पात्र समझा जावेगा ।

नोट – उपरोक्त पैरा के प्रावधान 2 से 13 पर वर्णित आयु सीमा में छूट के प्रावधान "Non Cumulative" है, अर्थात अभ्यर्थियों को उपरोक्त वर्णित किसी भी एक प्रावधान का अधिकतम आयु सीमा में छूट को लाभ दिया जायेगा। एक से अधिक प्रावधानों को जोड़ कर छूट का लाभ नहीं दिया जायेगा।

2. विज्ञापन की अन्य शर्तें यथावत रहेगी ।

(डॉ.के.के.पाठक)
सचिव